न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2018 (GCMS 2018/00178)	19.01.2018	10.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

लोकेश पुत्र श्री शम्भूसिंह राजपुत (विक्रेता/मालिक) मैसर्स जोगणिया रेस्टोरेन्ट बस स्टेन्ड, ग्राम पारसोली तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान। निवासी ग्राम पारसोली. तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा दिनांक 16.10.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफ–168/2015/491 दिनांक 29.06.2015 के अनुसार उन्हे कार्य क्षेत्र जिला चितौडगढ आवंटित किया गया था जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 16.10.2015 को समय 04.30 पीएम पर मैसर्स जोगणिया रेस्टोरेन्ट बस स्टेन्ड ग्राम पारसोली तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर पहुंचे। वहां पर लोकेश पुत्र शम्भूसिंह (विक्रेता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ मावे की बर्फी आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर गवाहान श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री जगदीश की उपस्थिति में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर कॉच के काउन्टर में एक एल्यूमिनीयम ट्रे में लगभग 5 किलो मावे की बर्फी तैयार की हुई रखी पाई गई। व्यापारी ने बताया कि उक्त मावे की बर्फी आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु तैयार की गई है एवं विक्रय की जा रही है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ मावे की बर्फी का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावे की बर्फी जो कि लगभग 5 किलो थी मै से 2 किलोग्राम मावे की बर्फी वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 500/– नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा मावे की बर्फी को चार बराबर भागो मे बाट कर चार प्लास्टिक जारो मे अलग–अलग भरकर फोर्मलिन को 40–40 बुन्दे डालकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-585** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीर से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर उनके द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया. उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद. प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/3976 दिनांक 17.11.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावे की बर्फी का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब्सटेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स जोगणिया रेस्टोरेन्ट, बस स्टेन्ड, ग्राम पारसोली तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई थी। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 3975 दिनांक 17.11.2015 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/848 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/स.सी./2017/1004 दिनांक 03.10.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/4439 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा आवेदक देवेन्द्रसिंह राणावत को न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, का पत्र मुल संलग्न है। अतः में आवेदक खाद्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना कि गई कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने सब्सटेण्डर्ड नमकीन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतः आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को दण्डित करावे।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 15.03.2018 को अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया एवं जवाब परिवाद पेश किया। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थीगण ने परिवाद के समस्त तथ्यों से इन्कार कर बताया कि फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री उदयपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 17.11.2015 को अभियुक्त को जांच रिपोर्ट के विरूद्ध अपील का पत्र जांच रिपोर्ट के साथ भेजा, उक्त पत्र अभियुक्त को प्राप्त हुआ, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त को समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुयी जिससे अभियुक्त को सेम्पल की जांच सेन्ट्रल फूड लेबोरेट्री से कराने से महरूम हो गया। अभियुक्त का यह वैधानिक अधिकार समाप्त हो गया है जिससे भी उक्त प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त के विरूद्ध इस्तगासा 2 वर्ष पश्चात देरी से प्रस्तुत किया है, जिससे भी प्रकरण देरी के बिन्दू पर व परिसीमा के आधार पर निरस्त योग्य है। दिनांक 16.02.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर को नमूना कोड ए एम 585 का इस्तगासा पेश करने हेतू समयावधि बढाने हेतू पत्र भेजा । उक्त पत्र में खाद्याधिकारी उपेन्द्र मिश्रा एपीओ हो जाने के कारण पत्रावली पूर्ण करने मे निर्धारित सीमा एक वर्ष से अधिक समय लग गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा को कब एपीओ किया गया इसका कोई स्पष्टीकरण पत्र में नहीं किया गया। इस्तगासा प्रस्तुत करने एवं अनुसंधान में समय ज्यादा नहीं लगता है। इस्तगासा प्रकरण में अनुसंधान भी ज्यादा नहीं किया जाना होता है। इसके विपरित अनुसंधान में समय लगना एपीओ की वजह से समय बढाने का जो पत्र पारित किया है उसमें कोई उचित एवं सद्भाविक कारण नहीं बताया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र दिनांक 16.02.2017 पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर ने दिनांक 03.10.2017 को आदेश देकर समय बढ़ाने का पत्र जारी किया एवं समय सीमा 31.10.2017 तक बढायी गयी। उक्त समयावधि बिना किसी उचित कारण के बढायी गयी है। अनुसंधान में समय लगने का कथन गलत किया है एवं एपीओ होने का कथन कर समयावधि बढायी है जो अनुचित है। इस्तगासा पर दिनांक 27.10.2017 अंकित है, जबकि प्रकरण न्यायालय में 30.10.2017

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को प्रस्तुत। अभियुक्त का इस्तगासा देरी से प्रस्तुत होने से प्रकरण में जांच से महरूम हो गया है व वैधानिक अधिकार समाप्त हो गया है एवं इस्तगासा देवेन्द्रसिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसकी नियुक्ति बाबत कोई आदेश नहीं है। 17.11.2015 को रजिस्टर्ड पोस्ट से जांच रिपोर्ट अभियुक्त को भिजवायी। उक्त जांच रिपोर्ट अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुयी। न्यायालय में प्रकरण के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट की कोई रसीद प्रस्तुत नहीं है। केवल पत्र है। इससे भी स्पष्ट है कि जांच रिपोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजी गयी है, जिससे अभियुक्त अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो गया है। इससे प्रकरण को इसी बिन्दू पर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। न्यायालय ने प्रकरण को 19.01.2018 को देरी कर अभियुक्त की तलबी हेतू 15.03.2018 की पेशी नियत की गयी । इस्तगासा में जांच रिपोर्ट के पश्चात काफी समय लग गया जिससे अभियुक्त प्रकरण में जांच से वंचित हो गया । प्रकरण में उपेन्द्र मिश्रा खाद्य अधिकारी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण कर रखी थी। सेम्पल लेने के वक्त कार्यवाही पूर्ण कर रखी थी एवं जांच रिपोर्ट आने के पश्चात इस्तगासा प्रस्तुत करने का सी एम एण्ड एच ओ को आदेश देना था, लेकिन प्रकरण को समय पर प्रस्तुत न करा देरी से प्रस्तुत किया एवं समय बढाने की अवधि का पत्र भी सेम्पल लेने के करीब दो वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया इन सब कारणों से अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही दुषित हो जाती है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आपत्तियाँ स्वीकार की जाकर इस्तगासा निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

दिनांक 10.02.2021 को अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। अपनी बहस पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अभियुक्त को सेम्पल की जांच सेन्ट्रल फूड लेबोरेट्री से कराने से महरूम हो गया। अभियुक्त का यह वैधानिक अधिकार समाप्त हो गया है जिससे भी उक्त प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त के विरूद्ध इस्तगासा 2 वर्ष पश्चात देरी से प्रस्तुत किया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर ने दिनांक 03.10.2017 को आदेश देकर समय बढ़ाने का पत्र जारी किया एवं समय सीमा 31.10.2017 तक बढायी गयी। उक्त समयावधि बिना किसी उचित कारण के बढायी गयी है। प्रकरण को समय पर प्रस्तुत न करा देरी से प्रस्तुत किया एवं समय बढाने की अवधि का पत्र भी सेम्पल लेने के करीब दो वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया इन सब कारणों से अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही दुषित हो जाती है।अतः जवाब अभियुक्त स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक का आवेदन मय हर्जे–खर्चे निरस्त फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 16.10.2015 को बनाई गई है उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 528/Act/2015/560 Dated 29-10-2015** प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित की गई है जिसकी पुष्ठि पत्र से होती है। जहां तक प्रकरण में समय सीमा विस्तारित किये जाने का प्रश्न विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने उठाया है एस संबंध में हमारा अभिमत है कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक/एफएसएसए/स.सी./2017/1004 दिनांक 03.10.2017 द्वारा समय सीमा विस्तारित की गई। इस संबंध अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम स्तर से समय सीमा विस्तारित की गई है, ऐसी स्थिति में समय सीमा के विस्तारण के तथ्य को देखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही उक्त संदर्भित आदेश से आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा द्वारा प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्रसिंह राणावत को अधिकृत किया गया है जो कि सक्षम स्तर है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के प्रस्तुत जवाब परिवाद के समस्त तथ्यों को आवेदक द्वारा आवेदन में दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है एवं उक्त समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध होकर रिकार्ड है, ऐसी स्थिति विपक्षीगण के प्रस्तुत जवाब परिवाद के संबंध में कोई भी ठोस दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से हम संतुष्ट है, एवं प्रकरण की किसी प्रकार की अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके साथ ही हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 528/Act/2015/560 Dated 29-10-2015** का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था, जो कि एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार सब्स्टेण्डर्ड होना होना पाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample contained in a wide mouth plastic jar screwed with lid.
(ii) Physical appearance:- Creamish in color.
(iii) Label :-- Loose Sample of Mawa ki Burfi.
Opinion:- The sample Mawa ki burfi Bearing code no. and serial no. AM- 585 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 40'c is does not meet the specified standards as prescribed in Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का नमूना जो कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-585** लिया गया, उक्त पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं विपक्षी लोकेश पुत्र श्री शम्भूसिंह राजपुत (विक्रेता/मालिक) मैसर्स जोगणिया रेस्टोरेन्ट बस स्टेन्ड, ग्राम पारसोली तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान, निवासी ग्राम पारसोली. तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त लोकेश पुत्र श्री शम्भूसिंह राजपुत (विक्रेता/मालिक) मैसर्स जोगणिया रेस्टोरेन्ट बस स्टेन्ड, ग्राम पारसोली तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान, निवासी ग्राम पारसोली. तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ को 15,000/– रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 10.02.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:13 IST
Reason: SelfAttested